

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2025—श्रावण 10, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक ESTB/669/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 33/07/2025-EO(SM-I), दिनांक 28-05-2025 के तारतम्य में श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग एवं अति. प्रभार सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जुलाई 2025

क्रमांक PLGMJ-2301/9/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 17-02-2025 से 21-02-2025 तक कुल 05 दिन का लघुकृत अवकाश (मेडिकल अवकाश) (अवकाश पूर्व दिनांक 15-02-2025 से 16-02-2025 तक का सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 22-02-2025 से 23-02-2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जून 2025

क्रमांक/2122/एफ-11/24/2019/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्र./1241/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 13-03-2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रसंस्करण/विनिर्माण हेतु केन्द्र/राज्य अर्द्ध-शासकीय निकायों या व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लाये गये मक्का एवं बाजरा पर, मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में इस शर्त के अध्वधीन पूर्णतः छूट प्रदान करती है कि “विहित कालावधि के भीतर मंडी कार्यालय में मंडी अधिनियम एवं उप-विधियों के अधीन अनुसूचित विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.”

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 02 वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावशील होगी.

No./2122/F-11/24/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and partly amending the Notification No. 1241/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 13-03-2024. the State Government, hereby fully exempts market fees and farmer welfare fees on Maize and Bajra brought from the other States by the Central/State Semi-Government bodies or traders for processing/manufacturing, subject to the condition that “it will be mandatory to submit scheduled returns under Mandi Act and Bye-Laws in the market office within prescribed period”.

This Notification will be effective for a period of 02 years from the date of publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2190/1321/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गौरव महिलांग (Shri Gourav Mahilong) पिता श्री शरद कुमार महिलांग (SC-O-मेरिट क्र.-32) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2192/1525/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. चन्द्र किरण मानकर (Ku. Chandra Kiran Mankar) पिता श्री जवाहर लाल मानकर (ST-F-O-मेरिट क्र.-48) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2194/970/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. भूमिका ध्रुव (Ku. Bhoomika Dhruv) पिता स्व. श्री जी. एल. ध्रुव, (ST-F-, मेरिट क्र.-30) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2196/1612/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. सलमा लकड़ा (Ku. Salma Lakra) पिता श्री जोवाकिम लकड़ा, (ST-F-O, मेरिट क्र.-42) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2025

क्रमांक 2198/1605/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. मनीषा दुश्यानी (Ku. Manisha Dushyani) पिता श्री श्याम दुश्यानी, (UR-F-O, मेरिट क्र.-15) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2025

क्रमांक 2322/1607/21-ब (एक)/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. अतनु प्रसाद (Ku. Atnu Prasad) पिता श्री रमार्शकर प्रसाद, (ST-F, मेरिट क्र.-33) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ

श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान J-1 (77840-136520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

यह नियुक्ति आदेश उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के समक्ष लंबित जांच का प्रतिकूल परिणाम आने पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधधीन रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 26 जून 2025

क्रमांक/5048/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	कुसमी	कमलापुर प.ह.नं. 15	0.354	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी.	कमलापुर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

रायगढ़, दिनांक 29 मई 2025

251/1, 255/1

0.094

प्र. क्रमांक 202411042100057/अ-82/वर्ष 2022-23.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि
अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता
है :—

251/6, 255/6

0.063

301/2

0.041

योग

03

0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना
के अंतर्गत कठली वितरण नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय (रा.), रायगढ़
के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-चिखली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा,
जिला-सक्ती (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1506.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-कोसमंदा,
तहसील-डभरा, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत
पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप
लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक
07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने
आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	कोसमंदा/30	101/23	0.045
			101/26	0.104
			83/3	0.085
			101/25	0.108
			101/226	0.016
			101/27	0.065
			101/1	0.045
			101/196	0.008
			83/4	0.061
			101/184	0.120
			101/197	0.175
			101/176	0.023
			75/27	0.085
			75/13	0.065
			99	0.004
			75/8	0.075
			75/30	0.227
			83/17	0.040
			75/2	0.016
			75/29	0.004
			75/16	0.041
			76/6	0.069
			78/6	0.004
			76/1	0.024
			78/1	0.029
			78/3	0.060
			78/4	0.073
			77/3	0.004
			78/2, 78/5	0.173
			80/1	0.028
			83/2	0.030
			83/11	0.205
			101/175	0.390
कुल योग			34	2.501

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1509.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	साराडीह/29	615	0.163
			612/2	0.012
			632/2, 633	0.032
			612/6	0.040
			632/3	0.092
			612/4	0.074
			632/5	0.038
			612/1	0.092
			635/1	0.043
			635/5	0.043
			635/3	0.024
			635/4	0.024
			635/7	0.045
			634/2	0.090
			634/1	0.090
			639	0.144
			617/3	0.041
			617/4	0.020
			618/1	0.049
			618/2	0.025
			619	0.080
कुल योग			21	1.261

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1512.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-फलियामुड़ा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	फलियामुड़ा/30	61	0.207
			60	0.032
			55/1	0.073
			118/1	0.052
			199/1	0.123
			62/7	0.021
			59/1	0.028
			59/4	0.028
			56	0.091
			57/2	0.141
			55/3	0.061
			118/3	0.061
			116	0.110
			121	0.067
			55/2	0.021
			118/2	0.050
			199/2	0.090
			49/2	0.036
			51/3	0.018
			48/1	0.063
			48/3	0.036

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			102/1	0.013
			122/7	0.016
			48/2	0.036
			102/5	0.047
			99/5	0.117
			99/1	0.009
			101	0.012
			100/3	0.156
			100/1	0.168
			102/3	0.018
			117/2	0.125
			117/3	0.130
			117/1	0.075
			120	0.097
			119	0.098
			122/12	0.101
			125/4	0.016
			197	0.232
			198/4	0.318
			196/2	0.023
			200/1	0.067
			194/4	0.036
			190/8	0.178
			195/3	0.104
			100/4	0.035
			100/2	0.026
			195/4	0.045
		कुल योग	48	3.707

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1515.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-कांशीडीह, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	कांशीडीह/07	873/1	0.048
			96/2	0.103
			79/1	0.020
			811/2	0.060
			811/1	0.024
			888/2	0.024
			161, 162	0.024
			163/1	0.024
			16/1	0.034
			8/1	0.008
			15/2	0.012
			73, 74	0.049
			72/1	0.040
			63	0.025
			39/1	0.016
			39/4	0.016
			39/3	0.016
			39/2	0.016
			40/2	0.012
			15/3	0.012
			10	0.048
			62	0.018
कुल योग			24	0.649

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1518.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-मौहापाली, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	मौहापाली/30	259/2	0.106
			268/22	0.018
			59/4	0.042
			59/2	0.101
			306/2	0.016
			441/9	0.032
			61/2	0.020
			15/2	0.032
			306/1	0.016
कुल योग			9	0.383

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1521.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-बिलाईगढ़ (प.), तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	बिलाईगढ़ (प.)/10	128	0.144
			130	0.120
			140/1, 140/8	0.192
			200/1	0.012
			263/2	0.020
			196/2	0.061
			196/4	0.040
			196/3	0.021
			242/1	0.008
			199/1	0.021
			196/1	0.024
			194	0.210
			210/1	0.061
			210/3	0.044
			259	0.045
			261/2	0.040
			210/4	0.016
			257	0.040
			210/9	0.012
			253	0.510
			240/2	0.225
			239/1, 239/6	0.090
			233/2	0.020
			239/3	0.084
			239/2, 239/4	0.078
			238	0.020
कुल योग			29	2.158

सक्ती, दिनांक 25 जुलाई 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

क्रमांक 1524.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-बरहागुड़ा, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	बरहागुड़ा/09	188	0.028
			189	0.061
			224	0.068
			198, 199, 200, 218, 222, 223	0.678
			204	0.028
			105	0.037
			106/2	0.040
			107/2	0.085
			205	0.045
			201/2	0.040
			201/1	0.040
			206	0.032
			135/3	0.032
			135/5	0.072
			135/6	0.054
			136	0.156
			137	0.098
			107/1	0.024
			104/1	0.020
			104/3	0.020
			104/4	0.020
			104/5	0.020
			126	0.045
			123	0.075
कुल योग			24	1.818

बालेश्वर राम
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th May 2025

No. 401/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following candidate as mentioned in Column No. (2), who is at Sl. No. 1 of the waiting list as per the revised select list dated 24-01-2025 of Civil Judge (Entry Level) Examination-2020 issued pursuant to orders dated 02-01-2025 passed by Hon'ble the High Court of Chhattisgarh in W.P.(S) Nos. 4812/2021 (*Siddharth Pandey Vs. State of Chhattisgarh & Ors.*) and 5879/2021 (*Sakshi Sharma Vs. State of Chhattisgarh & Ors.*), and who has been appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government vide Order No. 1760/1300/21-B/C.G./2025 dated 23-04-2025, is posted at the place and in the capacity as mentioned against her name in Column No. (3) of the table below, with a direction to assume charge of her office by 23-05-2025 :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Smt. Sakshi Khanna, W/o Shri Vihit Khanna, 2 'A'-8, August Silver Moon, Near Sayaji Hotel, Labhandi, Raipur (C.G.)	II Civil Judge Junior Division, Raipur

Bilaspur, the 26th May 2025

No. 444/Confdl./2025/II-3-14/2000 (Part-IV).—On the applications dated 21-11-2024 and 07-03-2025 of Ku. Ruchi Mishra, the then I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Rajnandgaon, presently posted as III Civil Judge Senior Division, Surajpur, she is, hereby, permitted to change her name from Ku. Ruchi Mishra D/o Shri Santosh Kumar Mishra to Smt. Ruchi Ashish Mishra W/o Shri Ashish Bhagat and to incorporate the name of her husband Shri Ashish Bhagat in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2025

क्रमांक 293/दो-2-5/2015.—श्री मनीष कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-05-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
दिनेश चंद्र बावनकर, लेखाधिकारी.